(90)

(7)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :- ।२०१७ निगरानी R 19-I-17

नीरज पाठक पुत्र सुरेश नारायण शर्मा,
निवासी खिड़किया मोहल्ला, भिण्ड-म०प्र०
तेहसील व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।
------ प्रार्थी

श्री रमाकान्त के. अवस्थी द्वारा आज दि. 2-1-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरुध्द

मध्यप्रदेश शासन ------ अप्रार्थी

निगरानी बिरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय भिण्ड दिनांकी २६-१२-१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १६५६ । ३१।१६-१६- अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाएँ कानूनन सही नहीं हैं ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रार्थी के स्थगन आवेदन-पत्र को निरस्त करने में अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग सही नहीं किया गया है ।

४- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय का आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि वह स्वयं बोलता हुआ आदेश न होकर सकारण आदेश न होने से विवादित आदेश निरस्ती योग्य है ।

५- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने उनके समक्ष प्रस्तुत स्थगन आवेदन-पत्र पर समुचित विचार ही नहीं किया गया है ।

XX!X(a)-BR(H)-11

(90)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-19-एक/17 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	